न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर केम्प चान्देलाव

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 96/2016

प्रार्थी

सरकार जरिये

तहसीलदार बिलाड़ा

बनाम

अप्रार्थी

1. सायरी पत्नी सुखिया जाति दरोगा निवासी चान्देलाव, तहसील बिलाड़ा
2. मुनकी पत्नी थानाराम, जाति जाट
3. जहुरखॉ पि. गफूरखॉ जाति मुसलमान
4. अहमदखॉ पि. गफूरखॉ जाति मुसलमान
5. हबीबखॉ पि. गफूरखॉ जाति मुसलमान निवासीगण सिन्धीनगर तह. बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राज. भू राजस्व अधिनियम तरमीम निरस्त करने बाबत्

— — — — —

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

अप्रार्थी सं. 3 से 5 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एड.

:: आदेश :: दिनांक :— **10.05.2017**

पत्रावली आज दिनांक 10.05.2017 को बमुकाम चान्देलाव राजस्व लोक अदालत शिविर न्याय आपके द्वार में वास्ते निर्णय हेतु प्रस्तुत हुयी जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 1624 बीघा राजकीय भूमि वक्त बन्दोबस्त थी। ग्राम चान्देलाव के खसरा नम्बर 441 रकबा 1624 बीघा में से अप्रार्थी संख्या 1 सायरी पत्नी सुखिया जाति दरोगा को 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुयी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1159 दायर होकर स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् खातेदार के बाद उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 जरिये नामान्तरकरण संख्या 1304 के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थी संख्या 2 मुनकी पत्नी थानाराम जाति जाट ने वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 के हक में बैचान जरिये नामान्तरकरण संख्या 1816 जिसके नये खसरा नम्बर 441/85 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर आवंटन सुदा भूमि की तरमीम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सरकारी कार्य हेतु
प्रमाणित प्रतिलिपि
10.5.2017
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर)

है/नही है। नामान्तरकरण सं. 1159, 1304, 1816 की सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो नामान्तरकरण प्रदर्श 1 से 3 है। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 जरिये नामान्तरकरण संख्या 1816 श्री जहुरखॉ, अहमदखॉ, हबीबखॉ पि. गफूरखॉ जाति मुसलमान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस नामान्तरकरण की पुश्त पर तरमीम दर्ज नही है। नामान्तरकरण की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है। जो नामान्तरकरण प्रदर्श 3 है। पटवारी चान्देलाव के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार पुराने नक्शा ट्रेस में उक्त पद संख्या 2 में वर्णित भूमि की तरमीम दर्ज नही है। जो नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जिसकी नकल प्रदर्श 4 है। अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 श्री जहुरखॉ, अहमद खॉ, हबीब खॉ पि. गफूरखॉ जाति मुसलमान सा. सिन्धीनगर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 441/85 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा की तरमीम पूर्व में पटवारी चान्देलाव श्री सूरजनारायण मीणा द्वारा वर्ष 2012में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त तरमीम नक्शे में दर्ज कर दी जबकि उक्त कार्यवाही हेतु भू. अ. निरीक्षक अधिकृत है। जिसकी जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 वास्ते सबूत साथ में पेश है, जो प्रदर्श 5 है। पद संख्या 5 में दर्ज की गयी तरमीम मौका स्थिति के अनुरूप नही की गयी। तरमीमम ऐसे क्षैत्र में की गई पुरानी झाडिया उगी हुयी है एवं कब्जा काश्त नही हे। इस प्रकार पटवारी श्री सूरजनारायण मीणाा ने पद संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 441/85 की तरमीम अपने अधिकार क्षैत्र व शक्तियों से बाहर जाकर पुख्ता की एवं कब्बजे के विपरित की गयी है। जो निरस्त योग्य है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त गलत तरमीम को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजुद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित जो जवाब पेश नही करना चाहते इनका जवाब बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर 10.5.2017
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा (जोधपुर)

उभय पक्षकारान के वकुलाय की बहस सुनी गयी। वकुलाय ने अपनी बहस मे सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस सुनाई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा के भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 1624 बीघा में से अप्रार्थी संख्या 1 सायरी पत्नी सुखिया जाति दरोगा को 7 बीघा 17 बिस्वा का आवंटन हुआ था जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे में पेनसली प्रस्तावित करने के लिए पटवारी एवं लाल स्याही से तरमीम पुख्ता करने के लिए भू. अभिलेख निरीक्षक अधिकृत है, इस मामलें में तरमीम पटवारी हल्का द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गयी है, इसके लिए सम्बंधित पटवारी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा चुका हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में तरमीम मौका स्थिति के अनुरूप नही की गयी है। तरमीम ऐसे क्षैत्र में की गयी जहा पुरानी झाड़िये उगी हुयी है एवं कब्जा काश्त नही है। अतः ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 441/85 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा की वर्तमान लठा ट्रेस में की गयी तरमीम को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरे का मौका निरीक्षण करवाकर जहा पर भूमि का आवंटन हुआ है एवं जिस स्थान पर आवंटी अथवा भू के खरीददारान का कब्जा काश्त है, वहा पर नये सिरे से तरमीम करवायी जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। इस आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को भिजवायी जाकर पालना मंगवायी जावे। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 10.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सरकारी कार्य हेतु
प्रमाणित प्रतिलिपि
10-5-2017
रीडर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर)